न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांकः–रास्ता स्वीकृति आदेश/2024/ 294 दिनांकः– 27.8.2024

तहसीलदार (राजस्व),

संगरिया।

विषयः– प्रार्थना–पत्र संख्या 37/2024 अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए की मुताबिक निर्णय दिनांक 27.8.2024 की पालना करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना–पत्र संख्या 37/2024 अनवान परमजीतकौर बनाम देलशाद सिह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में दिनांक 27.8.2024 को निर्णय पारित केया गया है। मुताबिक निर्णय किसी न्यायालय में अपील या किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि न हो तो नियमानुसार मुताबिक निर्णय पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः निर्णय की प्रति

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.09.09 14:50:05 IS
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

प्रार्थना –पत्र नम्बर 37 / 2024
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

परमजीत कौर पत्नी कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी पंजाबी मोहल्ला हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज) – प्रार्थीया

विरूद्ध

दिलशाद सिंह पुत्र श्री कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी पंजाबी मोहल्ला हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज) अप्रार्थीगण

उपस्थित :–
श्री शिवशंकर वकील प्रार्थीया
श्री अनिल चोयल वकील अप्रार्थी संख्या 1

–: आदेश :– दिनांक :– 27.08.2024

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की कृषि भूमि चक 4 आरटीपी के खाता स. 286 / 268 मे एकल खाता मे 1.0022है. दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा अप्रार्थी की कृषि भूमि इसी चक के खाता स. 268 / 132 मे 0.8138है. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त खातो की असल जमाबन्दी सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया की अपने उक्त रकबा मे आने जाने हेतू मौका पर अप्रार्थी स. 1 के चक 4 आरटीपी के खाता 268 / 132 के प.न. 185 / 193 मु.न. 67 के कि.न. 8 / 3 मे रास्ताआम चालू है तथा मौका पर गै.मु. के रूप मे दर्ज नही है। प्रार्थीया के खेत को रास्ताआम नही होने कारण अपनी कृषि भूमि मे काश्त करने सिचाई करने निकाई करने व अन्य कृषि सम्बधी कार्य करने मे अनेको कठिनाईया का सामना करना पडता है। प्रार्थीया की कब्जाकाश्त चक 4 आरटीपी के खाता सं. 286 / 268 के एकल खाता की प.न. 185 / 193 मु.न. 67 की कुल 1.022है. कृषि भूमि मे आने जाने हेतू अप्रार्थी स. 1 के खाता स. 268 / 132 के कि.न. 8 / 3 / 0.01938है., मे आपसी सहमति से दिये गये रास्ता आम को उपयोग व उपभोग करती है तथा उक्त रास्ताआम भी चालु है जो कि मुख्य सडक से शुरू होकर प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि मे जाता है। उक्त रास्ता मौका पर 0.0482है. है तथा अप्रार्थी के चक 4 आरटीपी के खाता स. 268 / 132 के प.न. 185 / 193 मु.न. 67 कि.न. 8 / 3 / .01938है. मे मध्य मे दर्ज है तथा मौका पर चालू भी है। प्रार्थीया की कृषि भूमि मे जाने हेतू अप्रार्थी स. 1 के खाता स. 268 / 132 के मु.न. 67 के कि.न. 8 / 3 मे दर्ज व मौका पर चालू उक्त रास्ता 40 फीट चौडा व 129.9 फुट लम्बा है। उक्त रास्ता का उपयोग व उपभोग प्रार्थीया मौका पर भी आने जाने हेतू कर रही है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही होने से प्रार्थीया के साम्पतिक एंव विधिक एंव सुखाधिकार प्रभावित होते है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी को उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाने हेतू निवेदन किया तो अप्रार्थीया ने यह कहते हुये राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाने से इनकार कर दिया कि उक्त रास्ता की .0482है कृषि भूमि गै[illegible] से सिचाई पानी की बारी का नुकसान होगा एंव रास्ताआम राजस्व रिकार्ड मे द[illegible] यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का हैं [illegible] उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थीया की चक 4 आरटीपी के खाता स. 286 / 268 मे दर्ज 1.0022 है भूमि मे आने जाने हेतू अप्रार्थी स. 1 के इसी चक 4 आरटीपी के खाता स. 268 / 132 प.न. 185 / 193 मु.न. 67 कि.न. 8 / 3 / .01938है. मे मध्य मे 40फुट चौडा व 129.9फुट लम्बा कुल .0482है. रास्ताआम जो मौका पर दक्षिण दिशा मे मुख्य सडक हनुमानगढ से चालू है एंव प्रार्थीया के उक्त रकबा को जाता है को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे गै.मु. रास्ता आम के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.09.09 14:50:05 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आया एवं चक 4 आरटीपी के प.न. 185/193 के मु.न. 67 के किला न. 8/3/0.01938 है. मे मध्यम मे 40 फुट चौडा व 129.9 फुट लम्बा कुल 0.0482 है. रास्ता स्वीकृत करने हेतु अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का भली–भांति अवलोकन किया गया एव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251 (A) एव राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम–1955 के नियम–68 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है:–

क्रियान्विति आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 आरटीपी के प.न. 185/193 के मु.न. 67 के किला न. 8/3/0.01938 है. मे मध्य में 40 फुट चौडा व 129.9 फुट लम्बा कुल 0.0482 है. दक्षिण दिशा मे मुख्य सडक हनुमानगढ से रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार संगरिया उक्त जूरशुदा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नोट :– उक्त क्रियान्विति आदेश की पंक्ति संख्या 2 में "किला नं. 8/3/0.01938 है." के स्थान पर "किला नं. 8/3/0.1938 है." पढा जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:50:05 IST
Reason: SelfAttested